न्यायालय अपर कलक्टर,नागौर

बइजलास – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व रेफरेन्स सं0 – 15/2019 (347/07)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रूपाराम पुत्र अमानाराम जाति जाट 2 मगनाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाट 3 खेमाराम पुत्र नवलाराम जाति जाट 4 नगाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट 5 छेलुराम पुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल 6 मोहनराम पुत्र रावताराम जाति जाट निवासीगण झोरडा तहसील नागौर।		1 मोहनराम पुत्र बगताराम जाति महाजन (फौत) के कायम मुकामान 1/1 नवली पत्नी मोहनराम 1/2 राजेश पुत्र मोहनराम 1/3 संजय पुत्र मोहनराम 1/4 सुभाषचंद पुत्र मोहनराम 1/5 सुनिल पुत्र मोहनराम 2 मुन्नी बैवा जगदीश 3 गोरधन पुत्र जगदीश 4 शिवनारायण पुत्र जगदीश जातियान साद 5 डूंगरदान पुत्र उदयदान (फौत) के कायम मुकामान 5/1 रघुवीरसिंह गोद पुत्र स्व. डूगरदान चारण 6 ईशरदान पुत्र उदयदान जाति चारण 7 रामस्वरूप पुत्र भीकाराम साद निवासीगण झोरडा तहसील व जिला नागौर। 8 ग्राम पंचायत झोरडा 9 तहसीलदार नागौर

उपस्थिति–

1– श्री राधेश्याम सांगवा अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।

2– श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की ओर से।

3– श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से।

आदेश

दिनांक 20.06.2022

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने राजस्व रेफरेन्स अधीन धारा 232 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार नागौर के आंवटन आदेश क्रमांक 80/101 दिनांक 06.05.80 व नामान्तरकरण सं 63 मौजा झोरडा के आदेशो को निरस्त करते हुए उक्त भूमि खसरा नं. 85 गै.मु. गोचर मे पूर्व अनुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज करवाने को लेकर प्रस्तुत किया गया हैं। जिसके विचाराधीन रहते हुए प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार नागौर के आदेश दिनांक 6.4.80 को तलब किये जाने हेतु मांग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 24.5.08 को अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी रूपाराम द्वारा निगरानी/एलआर/5791/2008/नागौर रूपाराम बनाम मोहनराम माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर मे प्रस्तुत की। जिसमे निर्णय दिनांक 12.11.18 के अनुसार इस न्यायालया का पूर्व आदेश दिनांक 24.05.08 यथावत रखा गया है। तत्पश्चात पत्रावली माननीय मंडल से प्राप्त होने पर पुनः नंबर पर ली जाकर दिनांक 24.6.19 को पक्षकारो की तलबी हेतु आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 07 की ओर से श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 8 बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है और अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेफरेन्स के विचाराधीन रहते हुए वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 26.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी भींवरदान, अप्रार्थी मोहनराम, डूंगरदान फौत होना बताते हुए उनके कायम मुकामान रेकर्ड पर लिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसका जवाब वकील अप्रार्थी श्री रामेश्वरलाल ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाब दिनांक 09.03.2021 को पेश किया। इसके अलावा वकील अप्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22

अपर कलक्टर, नागौर

नियम 10 ए एवं धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी सं. 6 भींवरदान का वर्ष 2017 मे देहान्त हो चुका है तथा उसके वारिसान रेकर्ड पर लेने हेतु समुचित कार्यवाही प्रार्थीगण द्वारा नही किये जाने से संपूर्ण प्रार्थना पत्र जरिये उपशमन खारिज किये जाने हेतु मांग की गई है। जिसका जवाब वकील प्रार्थी द्वारा 26.12.19 को प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.12.19 आंशिक रूप से स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 01 मोहनराम व अप्रार्थी संख्या 5 डूंगरदान के कायममुकामान माफिक प्रार्थना पत्र रिकोर्ड पर लिये गये तथा अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.19 आदेश 22 नियम 10 ए आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रार्थी संख्या 6 भीवंरदान की सीमा तक प्रार्थना पत्र अबेट किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 5 के कायम मुकाम की ओर से श्री रामेश्वरलाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई, दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने रेफरेन्स प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दलील दी कि–

1(1) प्रार्थीगण ग्राम झोरडा के मूल निवासी है तथा ग्राम झोरडा के मुख्यान व प्रतिनिधि की हैसियत से व खुद की हैसियत से सावर्जनिक मामला होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते है। ग्राम झोरडा के खसरा नम्बर 85 रकबा 28 बीघा 3 बिश्वा गैर मुमकिन गौचर रहती चली आई है तथा इस भूमि में ग्राम के मवेशी चरते आये है तथा यह जमीन सार्वजनिक उपयोग में सारे गांव वासियों के काम आती है।

1(2) गत सटलमैन्ट व वर्तमान सटलमैंट में उक्त भूमि गैर मुमकिन गौचर रेकर्ड में व मौके पर दर्ज है। प्रश्नगत भूमि की किस्म गैर मुमकिन गौचर होने से ऐसी किस्म की भूमियों के आवंटन व नियमन पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 16 से प्रतिबन्धित है।

1(3) अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने मिलकर अप्रार्थी संख्या 9 तहसीलदार से बाला बाला गैर कानूनी ढंग से उक्त खसरा नम्बर 85 ग्राम झोरडा किस्म गैर मुमकिन गौचर, उक्त में से 1–1 बिस्वा जमीन बाडा हेतु नियमन व आंवटन करवा ली, जो दिनांक तहसीलदार नागौर के क्रंमाक राजस्व/80/101 दिनांक 6.5.1980 के तहत कराई, जो बिल्कुल नियमों विरूद्व करवायी है। अप्रार्थी सं. 1 से 6 के ग्राम झोरडा में मकान व बाडे मौजूद होते हुए भी तथ्यों को छुपा कर गलत आवंटन/नियमन करवाया है। अप्रार्थी मोहनलाल के पहले से मकान, बाडा व 50 बीघा खेती की जमीन आज दिन तक खाते में चली आयी है। अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के पति/पिता जगदीश के पहले से ग्राम झोरडा से मकान, बाडा व 50 बीघा खेती की जमीन रहेती चली आई है। अप्रार्थी संख्या 5 व 6 डूंगरदान व ईशरदान के खातेदारी की जमीन 136 बीघा मकान, बाडा मौजूद है, जिसमें वो निवास करते है तथा जानवरों के लिये बाडा को उपयोग में लेते है। अप्रार्थी सं. 7 ग्राम झोरडा का रामस्वरूप जो ग्राम झोरडा का निवासी नहीं है एवं न ही वहा पर इसका मकान व बाडा स्थित है। ग्राम का रामस्वरूप को झोरडा का निवासी गलत रूप से दर्शा कर गलत रूप से आंवटन करवाया है एवं न ही उसका झोरडा का राशन कार्ड है एवं नही मतदाता सूचि में उसका नाम है। ग्राम झोरडा का उसके पास निवासी होने का किसी प्रकार का सबूत नहीं होते हुए भी गलत रूप से आंवटन करवाया है।

1(4) तहसीलदार नागौर के आदेश दिनांक 6.5.1980 जो बिल्कुल अवैध बिना कानून के जारी किया गया था। उसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 63 जिस पर स्वीकृत कर्ता सरपंच ग्राम पंचायत चाउ द्वारा दिनांक अंकित नहीं की है, मात्र पटवारी हल्का चाउ की तारीख 20.3.81 व जांच कर्ता आरआई के हस्ताक्षरों के नीचे 23.03.81 अंकित किया हुआ है जो नामन्तरकरण पारित किया गया है, जो कानून सम्वत नहीं होने से काबिल खारिज के है, जब उक्त आदेश ही शून्य है, खारिज किये जाने योग्य है।

1(5) अप्रार्थी सं. 1 से 7 द्वारा गलत रूप से आवंटित करवाई गयी भूमि पर न बाडा बनाया, एवं न ही वाडे के रूप में काम में ली जा रही है। उक्त भूमि पर वाणिज्य उपयोग हेतु दुकानें बनाई गयी है, जो कई किराये पर चल रही है एवं कई निजी दुकाने चला रहे है, जिसकी भी स्वीकृति अप्रार्थी संख्या 1 से 7 ने नहीं ली है। जिस प्रयोजनार्थ तहसीलदार नागौर को अंधेरे में रख कर भूमि आंवटन करवाई है, उस प्रयोजनार्थ काम में नहीं ली जा रहीं है। उक्त भूमि सावर्जजिनक उपयोग की है तथा गैर मुमकिन गोचर है, गांव में जानवरों के संख्या बहुत ज्यादा है, जानवरों के चरने के लिए जमीन कम पड रही है।

1(6) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1970 के प्रावधान आज्ञापक है, और आज्ञापक प्रावधानों की अवहेलना करते हुए तहसीलदार नागौर ने अपने आदेश कमांक 80/101 दिनांक 6.5.1980 के द्वारा पूर्णतया विधि विरूद्व आवंटन अप्रार्थीगण 1 से 7 के पक्ष में किया गया वह विधि विरूद्व

अपर कलक्टर, नागौर

पारित आदेश प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। जो तहसीलदार नागौर के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से काबिल खारिज के है तथा इस आदेश के तहत भरा गया नामान्तकरण संख्या 63 काबिल खारिज के है तथा अपने कथन के समर्थन में आर आर टी 2006 (1) पेज 609 से 613 नजीर पेश की।

1(7) उक्त प्रसगंत भूमि सर्वप्रथम गैर खातेदारी के आदेश दिये गये थे तथा नामान्तरकरण भरा गया था, जो शुरू से शून्य था, उस नामान्तरकरण के आधार पर जो खातेदारी का नामान्तरण भरा गया है, वो भी शून्य प्रभावी होने से काबिल खारिज के है। नामान्तरकरण सख्या 63 के आधार पर खातेदारी राजस्व रेकर्ड में इन्दाज शून्य आधारों पर है, जो खारिज करके भूमि पूर्वतया गैर मुमकिन गौचर इन्द्राज दर्ज करवाये जाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है।

1(8) प्रकरण में जारी प्रसंगत आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार नागौर व ग्राम पंचायत द्वारा अवैध एवं अनाधिकृत पूर्वतया आदेश निर्णय किये गये है, ऐसे आदेश का नियमानुसार परीक्षण करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है।

1(9) तहसीलदार नागौर द्वारा जारी आदेश क्रमांक राजस्व/80/101 दिनांक 6.5.80 की नकले प्रार्थीगण द्वारा मांगी, जो तहसीलदार नागौर द्वारा कई अर्स तक प्रार्थना पत्र पेन्डिग रहने के बावजूद भी नकले नहीं दी, अन्त में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र यह कह कर खारिज कर दिया कि कार्यालय में उपलब्ध रेकर्ड को काफी ढूढने पर भी प्रार्थना द्वारा चाही गई नकले का रेकर्ड नहीं मिलने से उक्त नकले दिया दिया जाना संभव नहीं है।

2 वकील अप्रार्थी सं. 1 से 7 की ओर से अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीगण को रेफरेन्स करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने 27 वर्ष तक रेफरेन्स क्यों नहीं किया। इतनी लंबी अवधि के बाद पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। रेफरेन्स राज्य सरकार ही पेश कर सकती है। प्रार्थीगण को रेफरेन्स पेश करने का अधिकार नहीं है अतः रेफरेन्स खारिज किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे(राज) 2004 (3) पेज 1245 से 1250 नजीर पेश की।

3 राजकीय अधिवक्ता ने वकील प्रार्थीगण की बहस का समर्थन किया एवं बताया कि आराजी भूमि की किस्म गौचर है और गौचर भूमि को खातेदारी के अधिकार दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

4 उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवंत 2047 से 2050 व नामान्तरकरण संख्या 63 खसरा नम्बर 85 मौजा झोरडा के अवलोकन अनुसार वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन गौचर दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार भी उक्त भूमियां वर्णित भूमियों में है जिनका आवंटन नियमन नहीं किया जा सकता।

तहसीलदार नागौर ने मौजा झोरडा के वादग्रस्त खसरा नम्बर 85 गैर मुमकिन गौचर की भूमियां से अप्रार्थीगण को जरिये नामान्तरकरण संख्या 63 वर्ष 1981 में नाजायज बिना अधिकार के एवं राज्य सरकार के नियमों का उल्लघन करते हुए अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार दिये है जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदिनांक तक हुए इन्द्राजात को निरस्त कर राजस्व रेकर्ड मे गौचर के रूप मे पूर्ववत स्थिति बहाल करवाने हेतु मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाये जाने का आदेश दिया जाता है।

5 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर